UPPG010013182026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–(राजीव कमल पाण्डेय), (एच. जे. एस.)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –470/2026

उमा श्याम आयु 43 वर्ष सुत स्व 0 राम मनोहर
निवासी ग्राम साड़ा सैदन, थाना सलवन, जिला रायबरेली।

... ... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र०। ... ... विपक्षी

अपराध संख्या– 12/2026
धारा– 333, 103(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना– नवाबगंज , **जिला–** प्रतापगढ़।

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त उमा श्याम की तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 के प्रावधान के अन्तर्गत अपराध संख्या–12/2026 की धारा–333, 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना–नवाबगंज, जिला–प्रतापगढ़ के केस में उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है,उसे उक्त मुकदमें में रंजिशन साजिस से झूठा फंसाया जा रहा है। प्रार्थी मृतका का सौतेला पुत्र है, यदि प्रार्थी की संलिप्तता कथित घटना कारित करने में होती तो वादिनी उसे पहचान कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अवश्य करती। प्रार्थी पूणा शहर में विगत कई वर्षों से एम 0 के0 इण्डस्ट्रीज भुसारी, प्राईवेट कम्पनी में नौकरी करता है। कथित घटना के दिन वह अपनी कम्पनी में कार्यरत था। उसे पुलिस द्वारा घर में दबिश डालने की सूचना पर दिनांक 10.02.2026 को वहां से लौटा है, उसकी अपनी कम्पनी में उपस्थिति के सबूत के रूप में सी0 सी0 टी0 वी0 के फुटेज है। प्रार्थी व मृतका के मध्य पारिवारिक सम्पत्ति को लेकर साधारण मुकदमें विगत कई वर्षों से चल रहे थे लेकिन आपस की कोई रंजिश नहीं थी क्योंकि प्रार्थी उन मुकदमों में पिता की इकलौती वारिस होने के कारण उसका दावा प्रबल था। इसके पूर्व भी वादिनी तथा उसके परिवारीजन द्वारा मृतक को षड़यन्त्र करके उसके द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें विवेचनोपरान्त प्रार्थी को निर्दोष पाकर विवेचक द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाते हुये असली मुल्जिम सुबोध कुमार शर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।

Digitally signed by RAJIV KAMAL PANDEY
Date: 2026.03.06 15:50:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. प्रस्तुत प्रकरण में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के अगले दिन मृतका की भाभी द्वारा थाने पर दर्ज करायी गयी थी जिसमें उनके घर में आकर कुछ व्यक्तियों द्वारा वादिनी मुकदमा की ननद की हत्या कर दिये जाने का कथन किया गया है। मृतका के शव की शव विच्छेदन आख्या में उसकी मृत्यु, मृत्यु पूर्व गला घोटने से दम घुटने के कारण होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त, मृतका का सौतेला बेटा होना बताया गया है। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन में अत्यन्त कीमती जमीन को लेकर मृतका की मृत्यु कारित किया जाना इंगित हो रहा है। दौरान विवेचना मृतका की मृत्यु कारित करने में अन्य व्यक्तियों के नाम के साथ ही परमेश पटेल नामक प्रापर्टी डीलर की भी अपराध में संलिप्तता बतायी गयी है, जो कि प्रार्थी/अभियुक्त उमा श्याम का रिश्ते में साला होना बताया गया है। दौरान विवेचना मृतका के रिश्तेदार मदन पटेल के द्वारा परमेश पटेल व उमा श्याम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हत्या करवाने का संदेह व्यक्त किया गया है तथा कथित जमीन पर उमा श्याम का कब्जा होना भी बताया गया है। विवेचना अभी प्रचलित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत घटना में प्रथमदृष्टया संलिप्तता नहीं होने का कोई आधार दर्शित नहीं हो रहा है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति एवं उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **उमा श्याम** की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 470/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 06.03.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।
I.D No. UP 2020